संख्या-103/2023/2112(2)/सैंतीस-2-2023/5(2)/2018

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-14 सितम्बर, 2023

विषयः- **गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत गो-संरक्षण केन्द्रों की निर्माण लागत बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-102/2023/2112/सैंतीस-2-2023/5(2)/2018, दिनांक-13.09.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक-13.09.2023 द्वारा निर्धारित गो-संरक्षण केन्द्रों की इकाई लागत रू0-160.12 लाख गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत उन्हीं गो-संरक्षण केन्द्रों हेतु प्रभावी होगी जिनका निर्माण कार्य गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण की मानकीकृत लागत निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-1352/सैंतीस-2-2023-5(2)/2018टीसी, दिनांक-19.07.2023 के निर्गत होने से पूर्व प्रारम्भ नहीं हुआ है।

3- शासनादेश संख्या-102/2023/2112/सैंतीस-2-2023/5(2)/2018, दिनांक-13.09.2023 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-103/2023/2112(3)/सैंतीस-2-2023/5(2)/2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।